लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2522

10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग का विकास

2522. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वस्त्र उद्योग के विकास में बहुत पीछे है तथा उत्पादित वस्त्रों की मात्रा निर्यात की मात्रा को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सस्ते श्रमबल के अलावा इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या देश में वस्त्र उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किए गए हैं, ताकि वस्त्र विनिर्माण और निर्यात में बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंचा जा सके; और

(घ) देश में वस्त्र उद्योग का क्या भविष्य है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारत विश्व में शीर्ष वस्त्र निर्यातक देशों में शामिल है और वैश्विक वस्त्र और अपैरल निर्यात में इसकी लगभग 4% की हिस्सेदारी है।

(ग) और (घ): सरकार, भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना तैयार करने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धाक्षमता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करते हुए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर फोकस करते हुए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को संपूर्ण सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को भी क्रियान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, सरकार, शून्य दर निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना भी क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा, सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

****